

राजस्थान सरकार
निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ।

क्रमांक:—निदे/नियु/विविध/प-36/ ।

दिनांक: 7-01-2019

::— कार्यालय—आदेश —::

निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 432 दिनांक 9.7.2018, आदेश क्रमांक 557 दिनांक 17.7.2018 एवं 1090 दिनांक 5.10.2018 द्वारा विभाग समस्त कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को बायोमेट्रिक मशीन द्वारा उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया था । अपवाद परिस्थितियों में मेन्युअल उपस्थिति दर्ज करने हेतु भी निर्देश जारी किये गये थे ।

इस सम्बन्ध में कार्यालयों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की प्राप्त रिकॉर्ड की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि बड़ी संख्या में कार्मिकों द्वारा निर्धारित समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है । यह अत्यन्त गंभीर विषय है ।

समस्त को निर्देशित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति कार्यालय में बायोमेट्रिक के माध्यम से निर्धारित समय पर दर्ज करें । निर्धारित समय के 30 मिनट पश्चात लगातार 03 दिवस पर विलम्ब से उपस्थिति दर्ज होने पर सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष एक दिन का आकस्मिक अवकाश सम्बन्धित कार्मिक के अवकाश लेखा में से कम करेंगे तथा 07 दिवस तक लगातार विलम्ब से उपस्थिति पर सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित करेंगे ।

समस्त कार्यालयध्यक्ष उक्त आदेशों की पालना गंभीरता से सुनिश्चित करावें ।

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) IAS

निदेशक

खान एवं भूविज्ञान विभाग
राजस्थान, उदयपुर ।


क्रमांक:—निदे/नियु/विविध/प-36/ 2-150

दिनांक: 07-01-2019

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. अतिरिक्त निदेशक(खान) जोन—जयपुर/उदयपुर/जोधपुर/कोटा/मुख्यालय/(पर्यावरण एवं विकास)/सतर्कता—निदेशालय उदयपुर ।
2. अतिरिक्त निदेशक(भूविज्ञान) जोन—उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/(मु.)उदयपुर
3. वित्तीय सलाहकार, केन्द्रीय कार्यालय उदयपुर ।
4. अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/भीलवाडा / अजमेर/राजसमन्द/(मुख्यालय-I/II/III)/सतर्कता, के.का.उदयपुर ।
5. तकनीकी सहायक(निदेशक), निदेशालय, उदयपुर ।
6. अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर/बीकानेर/भीलवाडा ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक एवं छिद्रण) उदयपुर/बीकानेर ।
8. अधीक्षण भूवैज्ञानिक, रीजन—जयपुर/जोधपुर/ट्राईबल—उदयपुर/फास्फेट—उदयपुर/बीकानेर /जैसलमेर/भरतपुर/अजमेर/कोटा/भीलवाडा/(रिमोट सेन्सिंग)/(मुख्या.), के.का., उदयपुर
9. अधीक्षण भूभौतिकवेत्ता, के.का., उदयपुर ।

10. वरिष्ठ रसायनिक अभियन्ता / रसायनिक एवं सेरेमिक अभियन्ता / वरिष्ठ रसायनज्ञ(I/II) के. का., उदयपुर
11. यांत्रिक अभियन्ता(कर्मशाला) उदयपुर ।
12. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, राजसमंद / सिरोही / बाडमेर / अलवर / बांसवाडा / चित्तौड़गढ़ / करौली / नागौर / जैसलमेर / प्रकाशन / मुख्यालय / खनिज अर्थशास्त्री / पेट्रोलोजिस्ट, के.का. उदयपुर ।
13. खनि अभियन्ता, जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / कोटा / अजमेर / बीकानेर / सिरोही / सीकर / अलवर / भरतपुर / आमेट / राजसमंद-प्रथम / द्वितीय / बून्दी-प्रथम / द्वितीय / नागौर / रामगंजमण्डी / झुंझुनूं / सोजतसिटी भीलवाडा / धौलपुर / बिजौलिया / चित्तौड़गढ़ / मकराना / करौली / प्रतापगढ़ / ब्यावर / डूंगरपुर / बांसवाडा / जालौर / श्रीगंगानगर / बाडमेर / जैसलमेर ।
14. खनि अभियन्ता, याचिका-जयपुर / याचिका-जाधेपुर ।
15. खनि अभियन्ता सतर्कता-जयपुर / जोधपुर / कोटा / बीकानेर / भरतपुर / भीलवाडा / उदयपुर / अजमेर / अलवर / नागौर / करौली / सीकर ।
16. सहायक खनि अभियन्ता, सलुम्बर / ऋषभदेव / टोंक / बालेसर / निम्बाहेडा / कोटपूतली / गोदन / झालावाड / बांरा / दौसा / सवाईमाधोपुर / चुरू / हनुमानगढ़ / नीमकाथाना / रूपवास / सावर ।
17. सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) कोटपूतली / नीमकाथाना / झुंझुनूं / मकराना / तिजारा / बालेसर / टोंक / बून्दी / बांसवाडा / बिजौलिया / राजसमन्द / जैसलमेर / गंगापुर / सोजतसिट / कोलायत / धौलपुर / डींग / सवाईमाधोपुर / ब्यावर ।
18. लेखाधिकारी / उपविधि परामर्शी / भूभौतिकवेता / प्रशासनिक अधिकारी / सहायक लेखाधिकारी (आय / व्यय / बजट) / कनिष्ठ भूभौतिकवेता / रसायनज्ञ / सहायक निदेशक(सांख्यिकी) / भूवैज्ञानिक / सहायक खनि अभियन्ता(मु0) / (सतर्कता-मु0) के.का., उदयपुर ।
19. अतिरिक्त निजी सचिव (निदेशक) / निजी सहायक (अनिप्र) के.का., उदयपुर ।
20. डी.एम.जी.ओ.एम.एस.प्रकोष्ठ, के.का., उदयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
21. नोटिस बोर्ड ।


(बाल मुकुन्द असावा) RAS
 अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ।

क्रमांक:—निदे/नियु/विविध/प-36/ ।

दिनांक: 7-01-2019

::— कार्यालय—आदेश —::

निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 432 दिनांक 9.7.2018, आदेश क्रमांक 557 दिनांक 17.7.2018 एवं 1090 दिनांक 5.10.2018 द्वारा विभाग समस्त कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को बायोमेट्रिक मशीन द्वारा उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया था । अपवाद परिस्थितियों में मेन्युअल उपस्थिति दर्ज करने हेतु भी निर्देश जारी किये गये थे ।

इस सम्बन्ध में कार्यालयों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की प्राप्त रिकॉर्ड की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि बड़ी संख्या में कार्मिकों द्वारा निर्धारित समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है । यह अत्यन्त गंभीर विषय है ।

समस्त को निर्देशित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति कार्यालय में बायोमेट्रिक के माध्यम से निर्धारित समय पर दर्ज करें । निर्धारित समय के 30 मिनट पश्चात लगातार 03 दिवस पर विलम्ब से उपस्थिति दर्ज होने पर सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष एक दिन का आकस्मिक अवकाश सम्बन्धित कार्मिक के अवकाश लेखा में से कम करेंगे तथा 07 दिवस तक लगातार विलम्ब से उपस्थिति पर सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित करेंगे ।

समस्त कार्यालयध्यक्ष उक्त आदेशों की पालना गंभीरता से सुनिश्चित करावें ।

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) IAS

निदेशक

खान एवं भूविज्ञान विभाग
राजस्थान, उदयपुर ।


क्रमांक:—निदे/नियु/विविध/प-36/ 2-150

दिनांक: 07-01-2019

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. अतिरिक्त निदेशक(खान) जोन—जयपुर/उदयपुर/जोधपुर/कोटा/मुख्यालय/(पर्यावरण एवं विकास)/सतर्कता—निदेशालय उदयपुर ।
2. अतिरिक्त निदेशक(भूविज्ञान) जोन—उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/(मु.)उदयपुर
3. वित्तीय सलाहकार, केन्द्रीय कार्यालय उदयपुर ।
4. अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/भीलवाडा / अजमेर/राजसमन्द/(मुख्यालय-I/II/III)/सतर्कता, के.का.उदयपुर ।
5. तकनीकी सहायक(निदेशक), निदेशालय, उदयपुर ।
6. अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर/बीकानेर/भीलवाडा ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक एवं छिद्रण) उदयपुर/बीकानेर ।
8. अधीक्षण भूवैज्ञानिक, रीजन—जयपुर/जोधपुर/ट्राईबल—उदयपुर/फास्केट—उदयपुर/बीकानेर /जैसलमेर/भरतपुर/अजमेर/कोटा/भीलवाडा/(रिमोट सेन्सिंग)/(मुख्या.), के.का., उदयपुर
9. अधीक्षण भूभौतिकवेत्ता, के.का., उदयपुर ।

10. वरिष्ठ रसायनिक अभियन्ता / रसायनिक एवं सेरेमिक अभियन्ता / वरिष्ठ रसायनज्ञ(I/II) के. का., उदयपुर
11. यांत्रिक अभियन्ता(कर्मशाला) उदयपुर ।
12. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, राजसमंद / सिरोही / बाडमेर / अलवर / बांसवाडा / चित्तौड़गढ़ / करौली / नागौर / जैसलमेर / प्रकाशन / मुख्यालय / खनिज अर्थशास्त्री / पेट्रोलोजिस्ट, के.का. उदयपुर ।
13. खनि अभियन्ता, जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / कोटा / अजमेर / बीकानेर / सिरोही / सीकर / अलवर / भरतपुर / आमेट / राजसमंद-प्रथम / द्वितीय / बून्दी-प्रथम / द्वितीय / नागौर / रामगंजमण्डी / झुंझुनूं / सोजतसिटी भीलवाडा / धौलपुर / बिजौलिया / चित्तौड़गढ़ / मकराना / करौली / प्रतापगढ़ / ब्यावर / डूंगरपुर / बांसवाडा / जालौर / श्रीगंगानगर / बाडमेर / जैसलमेर ।
14. खनि अभियन्ता, याचिका-जयपुर / याचिका-जाधेपुर ।
15. खनि अभियन्ता सतर्कता-जयपुर / जोधपुर / कोटा / बीकानेर / भरतपुर / भीलवाडा / उदयपुर / अजमेर / अलवर / नागौर / करौली / सीकर ।
16. सहायक खनि अभियन्ता, सलुम्बर / ऋषभदेव / टोंक / बालेसर / निम्बाहेडा / कोटपूतली / गोदन / झालावाड / बांरा / दौसा / सवाईमाधोपुर / चुरू / हनुमानगढ़ / नीमकाथाना / रूपवास / सावर ।
17. सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) कोटपूतली / नीमकाथाना / झुंझुनूं / मकराना / तिजारा / बालेसर / टोंक / बून्दी / बांसवाडा / बिजौलिया / राजसमन्द / जैसलमेर / गंगापुर / सोजतसिट / कोलायत / धौलपुर / डींग / सवाईमाधोपुर / ब्यावर ।
18. लेखाधिकारी / उपविधि परामर्शी / भूभौतिकवेता / प्रशासनिक अधिकारी / सहायक लेखाधिकारी (आय / व्यय / बजट) / कनिष्ठ भूभौतिकवेता / रसायनज्ञ / सहायक निदेशक(सांख्यिकी) / भूवैज्ञानिक / सहायक खनि अभियन्ता(मु0) / (सतर्कता-मु0) के.का., उदयपुर ।
19. अतिरिक्त निजी सचिव (निदेशक) / निजी सहायक (अनिप्र) के.का., उदयपुर ।
20. डी.एम.जी.ओ.एम.एस.प्रकोष्ठ, के.का., उदयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
21. नोटिस बोर्ड ।


(बाल मुकुन्द असावा) RAS
 अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)